CODE OF CONDUCT

2015

With Hindi Translation

TATA BLUESCOPE STEEL

Code of Conduct - Index

Foreword / संदेश 02

1. National Interest / राष्ट्रीय हित 04
2. Financial Reporting and Records / वित्तीय प्रतिवेदन एवं अभिलेखन 04
3. Competition / प्रतिस्पर्धा 05
4. Equal Opportunities Employer / समान अवसरदाता नियोक्ता 05
5. Gifts and Donations / उपहार और दान 06
6. Government Agencies / सरकारी एजेंसियां 06
7. Political Non Alignment / राजनैतिक गैर–जुड़ाव 07
8. Health, Safety and Environment / स्वास्थ्य, सुरक्षितता और पर्यावरण 07
9. Quality of products & Services / उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता 08
10. Corporate Citizenship / निकाय की नागरिकता 08
11. Co-operation of Tata Companies / टाटा कंपनियों का सहयोग 09
12. Public Representation of the Company and the Group / कंपनी एवं ग्रुप का सार्वजनिक प्रतिनिधित्व 09
13. Third Party Representation / तृतीय पक्ष प्रतिनिधित्व 10
14. Use of BlueScope and Tata Brands / ब्लूस्कोप एवं टाटा ब्रांड का उपयोग 10
15. Group Policies / ग्रुप की नीतियां 10/11
16. Shareholders / शेयरधारक 11
17. Ethical Code / नैतिक संहिता 12
18. Regulatory Compliance / नियमों का पालन 12
19. Concurrent Employment / अतिरिक्त रोजगार 13
20. Conflict of Interest / हितों में विरोध 13
21. Securities Transactions and Confidential Information / प्रतिभूतियों का लेन–देन तथा गोपनीय जानकारी 16
22. Protecting Company Assets / कंपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा 17
23. Citizenship / नागरिकता 17
24. Integrity of Data Furnished / उपलब्ध आंकड़ों में सत्यता 17
25. Reporting Concerns / अभिलेखन की तत्परता 18

FOREWORD

Dear Colleagues,

It gives me great pleasure to place before you the revised Tata BlueScope Steel Code of Conduct. This is a well defined set of rules and values of business in our organisation. This Code is a combination of two strong codes of conduct - the Tata Code of Conduct and the BlueScope Guide to Business Conduct Policy. The spirit of this document arose from over a hundred years of heritage and pride that has made our joint venture shareholders a sterling example of business both in India and abroad.

By adopting this Code, Tata BlueScope Steel aims at inspiring trust in its customers, employees, external agencies and the society as a whole. The Code of Conduct embodies guidelines to familiarise and steer each employee through the Company's policies relating to values and business ethics. This Code is of great consequence in maintaining our moral principles and beliefs and serves as a focal point in future to help us sustain the Company's principles and beliefs at the highest order.

As employees of this Company, it is our duty and responsibility to ensure that we follow and imbibe the Code of Conduct. I urge you to carefully peruse the Code of Conduct and embrace it in its entirety in your mind and let it reflect through your work.

If you have any queries relating to the Code of Conduct, please feel free to contact our Ethics Counsellor.

Riten Choudhury

Managing Director

Tata BlueScope Steel Limited

Date: 15/03/2016

प्रबंध संचालक का संदेश

प्रिय साथियों,

यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं आज आपके सामने टाटा ब्लूस्कोप स्टील कोड ऑफ कंडक्ट का संशोधित संस्करण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें हमारे संस्थान के कारोबार के नियमों और मूल्यों को बेहतरीन ढंग से परिभाषित किया गया है। यह आचार संहिता दो महत्वपूर्ण आचार संहिताओं–टाटा कोड ऑफ कंडक्ट एवं ब्लूस्कोप स्टील की कारोबारी नीति का संयोग है। इस दस्तावेज की भावना की उत्पती सौ से अधिक सालों की गौरवशाली विरासत है, जिससे हमारा यह संयुक्त उपक्रम हमारे देश के और दुनिया के कई अन्य देशों में एक मिसाल बन चुका है।

इस आचार संहिता को अपनाकर टाटा ब्लूस्कोप स्टील अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, बाहरी एजेंसियों और इससे जुड़े हुए समाज के सभी लोगों के विश्वास को जागृत रखना चाहती है। यह आचार संहिता कंपनी के हर कर्मचारी को कंपनी की कारोबारी नीतियों और नैतिक मूल्यों से अवगत कराते हुए उन्हें पालन करने का दिशा प्रदान करता है। यह संहिता इस बात को रेखांकित करती है कि हमारे नैतिक सिद्धांतों, आस्थाओं और मान्यताओं का सम्मान करते हुए, हम किस तरह भविष्य में कंपनी के सिद्धांतों और मूल्यों को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं।

इस कंपनी के कर्मचारी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम आचार संहिता का पालन करें और इसका सम्मान करें।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सावधानीपूर्वक इस आचार संहिता का पालन करें और इसकी भावना को पूरी तरह से अपने मन में बिठा लें, जो आपके कार्य के माध्यम से प्रदर्शित हो।

अगर आपके मन में इस आचार संहिता को लेकर किसी तरह का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, तो आप निःसंकोच होकर हमारे एथिक्स काउंसलर (नैतिक सलाहकार) से संपर्क कर सकते हैं।

रितेन चौधरी

प्रबंध संचालक

टाटा ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड

तारीखः 15 / 03 / 2016

Clause # 1

National Interest

The Company shall be committed to benefit the economic development of the countries in which it operates. It shall not undertake any project or activity to the detriment of the wider interests of the communities in which it operates. The Company's management practices and business conduct must benefit the country, localities and communities served to the extent possible and affordable, and shall be in accordance with the laws and economic development policies of the government of each country.

The Company, in the course of its international business activities, shall respect the culture, customs and traditions of each country and region in which it operates. It shall conform to international trade procedures, including licensing, documentation, and other necessary formalities as applicable.

In the event that the standards prescribed under any applicable law are lower than that of the Code, we shall conduct ourselves as per the provisions of the Code.

खंड # 1

राष्ट्रीय हित

कंपनी उस देश के आर्थिक विकास हित के लिए प्रतिबद्ध होगी जहाँ यह संचालन करती है। कंपनी कोई भी ऐसी परियोजना या गतिविधि हाथ में नहीं लेगी, जो वहां के समुदाय के व्यापक हित में न हो, जहाँ यह संचालन करती है। कंपनी के प्रबंधन दस्तूर और व्यावसायिक आचरण से देश, स्थानों और समुदायों को यथासंभव एवं वहनीय सीमा तक लाभ होना जरूरी है और यह प्रत्येक देश की सरकार के कानूनों और आर्थिक विकास नीतियों के अनुरूप होगा।

कंपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों में प्रत्येक देश और क्षेत्र की संस्कृति, रीति–रिवाजों और परम्पराओं का आदर करेगी जिनमें वह संचालन करती है। यह लाइसेंसिंग, दस्तावेजीकरण और अन्य लागू आवश्यक औपचारिकताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करेगी।

अगर किसी प्रभावी कानून के अंतर्गत आने वाले मानक निर्धारित संहिता की तुलना में कम होने पर हम लोगों को संहिता के प्रावधानों के अनुसार आचरण करना होगा।

Clause # 2

Financial Reporting and Records

The Company shall prepare and maintain its accounts fairly and accurately in accordance with the accounting and financial reporting standards which represent the generally accepted guidelines, principles, standards, laws and regulations of the country in which the Company conducts its business affairs.

Internal accounting and audit procedures shall reflect, fairly and accurately, all of the Company's business transactions and disposition of assets, and shall have internal controls to provide assurance to the Company's board and shareholders that the transactions are accurate and legitimate. All required information shall be accessible to company auditors and other authorised parties and government agencies. There shall be no wilful omissions of any company transactions from the books and records, no advance income recognition and no hidden bank account and funds.

Any wilful material misrepresentation of and/or misinformation on the financial accounts and reports shall be regarded as a violation of the Code apart from inviting appropriate civil or criminal action under the relevant laws. No employee shall make, authorise or collude in an improper payment, commission or bribe. We shall comply with all applicable anti-money laundering, anti-fraud and anti-corruption laws and we shall establish processes to check for and prevent any breaches of such laws.

खंड # 2

वित्तीय प्रतिवेदन एवं अभिलेखन

कंपनी अपने खातों को ऐसी लेखाविधि एवं वित्तीय अभिलेखन मानदंडों के अनुसार न्यायोचित एवं सटीक ढंग से तैयार एवं कायम रखेगी, जो उस देश, जिनमें कं पनी अपना व्यवसाय करती है, के सामान्यतः स्वीकृत दिशानिर्देशों, सिद्धांतों, मापदंडों, विधि एवं नियमों का पालन करते हों।

आंतरिक लेखाविधि एवं लेखा जांच प्रक्रिया में कं पनी के कारोबारी लेन–देन एवं परिसंपत्तियों का प्रबंध निष्पक्ष और सटीक परिलक्षित होगा और कंपनी के बोर्ड एवं शेयरधारकों को आश्वस्त करने के लिए कि लेन–देन सटीक और वैध हैं, आंतरिक नियंत्रण रखा जाएगा। समस्त आवश्यक जानकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों और अन्य अधिकृत पार्टियों एवं सरकारी एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहेगी। कंपनी का कोई भी लेन–देन, कंपनी के खातों एवं अभिलेखों से जानबूझकर अलग नहीं किया जाएगा, न कोई अग्रिम आय स्वीकृति और न ही कोई गोपनीय बैंक खाता एवं निधि होगी।

वित्तीय लेखा एवं अभिलेखन सामग्री के विषय में जानबूझकर किया गया गलत प्रतिनिधित्व तथा/अथवा मिथ्या जानकारी उपलब्ध कराना आचार संहिता का उल्लंघन समझे जाने के अतिरिक्त, संबंधित कानून के तहत नागरिक या आपराधिक कार्यवाही के योग्य माना जाएगा। कोई भी कर्मचारी जालसाजी से अनुचित भुगतान, कमीशन अथवा रिश्वत नहीं लेगा, लेने के लिए अधिकृत नहीं होगा या सांठगांठ नहीं करेगा।

हम काले धन, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी लागू कानूनों का पालन करेंगें और हम ऐसे इस कानूनों के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए जांच प्रक्रियाओं की स्थापना करेंगे।

Clause # 3

Competition

The Company shall fully support the development and operation of competitive open markets and shall promote the liberalisation of trade and investment in each country and market it operates in. Specifically, The Company shall not engage in anti-competitive/restrictive trade practices and activities that generate or support the formation of monopolies, dominant market positions, cartels and similar unfair trade practices.

The Company shall market its products and services on its own merits and shall not make unfair and misleading statements about competitors' products and services. Any collection of competitive information shall be made only in the normal course of business and shall be obtained only through legally permitted sources and means.

खंड # 3

प्रतिस्पर्धा

कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजारों के विकास और संचालन को पूर्ण समर्थन देगी तथा प्रत्येक देश और बाजार में, जहाँ यह संचालन करती है, व्यापार उदारीकरण और निवेश को विशेष तौर पर प्रोत्साहन देगी। विशेष रूप से कंपनी स्वयं को ऐसी प्रतिस्पर्धा गतिविधियों में शामिल नहीं करेगी, जिनसे एकाधिकार या प्रभावी बाजार स्थिति उत्पन्न होती है तथा जिन गतिविधियों से अनैतिक व्यापार संघों या अनूचित व्यापार नीतियों को समर्थन मिलता हैं।

कंपनी द्वारा अपने उत्पादनों एवं सेवाओं की बिक्री इनकी गुणवत्ता के आधार पर की जाएगी तथा कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धी उत्पादनों एवं सेवाओं के संबंध में कोई भी अनुचित या भ्रामक वक्तव्य नहीं दिए जाएंगे। किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धात्मक जानकारी केवल सामान्य व्यापारिक तरीके से ही अर्जित की जाएगी तथा यह जानकारी केवल वैधानिक अनुमति प्राप्त स्रोतों माध्यम एवं तरीकों से ही प्राप्त की जाएगी।

Clause # 4

Equal Opportunities Employer

The Company shall provide equal opportunities to all its employees and all qualified applicants for employment without regard to their race, caste, religion, colour, ancestry, marital status, sex, age, nationality, disability, veteran status or any other category protected by applicable law.

Our Human Resource policies shall promote diversity and equity in the workplace, as well as comply with all labour laws and international best practices. Employees of the Company shall be treated with dignity and in accordance with the Company policy to maintain a work environment free of sexual harassment, whether physical, verbal or psychological. Employee policies and practices shall be administered in a manner that would ensure that in all matters equal opportunity is provided to those eligible and the decisions are merit-based.

खंड # 4

समान अवसरदाता नियोक्ता

कंपनी द्वारा अपने सभी कर्मचारियों एवं रोजगार के लिए आवेदन करने वाले सभी योग्य आवेदकों को जाति, रंग, धर्म, उपजाति, वंश, वैवाहिक स्तर, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, विकलांगता अनुभव के स्तर या प्रभावी कानून द्वारा संरक्षित किसी भी अन्य श्रेणी में भेदभाव किए बिना समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

हमारी मानव संसाधन नीतियों के अंतर्गत कार्यस्थल पर विविधता और समानता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ सभी श्रम कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ वसूलों का अनुपालन करना चाहिए। कंपनी के कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक और शारीरिक, मौखिक या मनोवैज्ञानिक यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल बनाने की कंपनी की नीति के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की नीतियों व नियमों को इस तरह से प्रशासित किया जाएगा जो सभी मामलों में पात्र लोगों के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करेगा और निर्णयों को योग्यता के आधार पर लिया जाएगा।

Clause # 5

Gifts and Donations

The Company and its employees shall neither receive nor offer or make, directly or indirectly, any illegal payments, remuneration, gifts, donations or comparable benefits which are intended to or perceived to obtain business or uncompetitive favours for the conduct of its business and shall participate in efforts to eliminate such forms of an 'illicit payment'', bribery, fraud and corruption. However, the Company and its employees may accept and offer nominal gifts which are customarily given and are of commemorative nature for special events.

खंड # 5

उपहार और दान

कंपनी एवं इसके कर्मचारियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई ऐसे गैरकानूनी भुगतान, मेहनताना, उपहार, दान या तुलनात्मक लाभ दिए जाएंगे और न ही लिए जाएंगे, जो कारोबार प्राप्त करने या अपना व्यापार चलाने के लिए अप्रतिस्पर्धात्मक पक्षपात के उद्देश्य से लिए या दिए गए हों और इस प्रकार के 'अवैध भुगतान', रिश्वत, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को नष्ट करने के प्रयासों में भागीदारी करेगी। बहरहाल, कंपनी और इसके कर्मचारी चाहें तो ऐसे मामूली उपहार ले या दे सकते हैं, जो किसी रीति–रिवाज के अधीन हों या किसी विशेष अवसर पर यादगार के रूप में दिए जाते हैं।

Clause # 6

Government Agencies

The Company and its employees shall not offer or give any company funds or property as donation to any government and regulatory agencies or their representatives, directly or through intermediaries, in order to obtain any favourable performance of official duties. The Company shall comply with government procurement regulations, and shall be transparent in all its dealings with government agencies as applicable.

खंड # 6

सरकारी एजेंसियां

कंपनी और इसके कर्मचारियों द्वारा अधिकृत कर्त्तव्यों हेतु विशेष अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या किसी मध्यस्थ के जरिए किसी भी सरकारी और विनियामक एजेंसी या इनके प्रतिनिधियों को न तो कोई कंपनी निधि और न ही कोई संपत्ति दी जाएगी। कंपनी सरकारी प्रबंधकीय विनियमनों का अनुपालन करेगी और जैसे लागू हो, सरकारी एजेंसियों के साथ अपने लेन–देनों में पारदर्शिता रखेगी।

Clause # 7

Political Non Alignment

The Company shall be committed to and support functioning democratic constitutions and governance systems with transparent and fair electoral systems. The Company shall not support directly or indirectly any specific political party or candidate for political office. The Company's conduct shall preclude any activity that could be interpreted as mutual dependence / favour with any political body and shall not offer or give any company funds or property as donations, directly or indirectly, to any specific political party, candidate or campaign.

खंड # 7

राजनैतिक असंबद्धता

कंपनी पारदर्शी तथा निष्पक्ष निर्वाचक प्रणाली के साथ क्रियागत लोकतंत्रात्मक संविधान और शासन प्रणाली के लिए सहायक एवं वचनबद्ध होगी। कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी विशिष्ट राजनैतिक पक्ष या उम्मीदवार को राजनैतिक कार्यालय के लिए कोई सहयोग नही दिया जाएगा। कंपनी के आचरण में कोई भी ऐसी गतिविधि शामिल नहीं होगी जो आपसी निर्भरता/किसी राजनैतिक संगठन के पक्ष में समझी जाती हो और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशिष्ट राजनैतिक दल, उम्मीदवार या अभियान को कोई भी कंपनी निधि या संपत्ति दान स्वरूप नहीं दी जाएगी।

Clause # 8

Health, Safety and Environment

The Company shall strive to provide a safe, healthy and ergonomic working environment for its people. It shall comply with all health, safety and environmental regulations in each jurisdiction, in which it operates.

The Company shall be committed to best practice in minimising its impact on the environment, prevent the wasteful use of natural resources and properly and safely control any hazardous aspects of its business.

The Company shall have policies and processes in place to address issues of safety, health and environment, and shall also have a disaster management system to address any natural calamities or business contingencies that may arise.

The Company, in the process of production and sale of its products and services, shall strive for economic, social, environmental sustainability and shall endeavour to offset as feasible the effect of climate change in our activities.

खंड # 8

स्वास्थ्य, सुरक्षितता और पर्यावरण

कंपनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित, स्वस्थ तथा कार्यानुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। कंपनी अपने संचालन क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य, सुरक्षितता और पर्यावरण के संबंध में लागू नियमों का पालन करेंगी।

कंपनी वातावरण पर विपरीत प्रभाव को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगी तथा अपने व्यवसाय के परिणामस्वरूप खतरनाक प्रभावों का उचित और सुरक्षित नियंत्रण करेगी।

कंपनी के पास सुरक्षितता, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों के समाधान के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं होंगी, और उत्पन्न होने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा या व्यवसाय अनिश्चितता का पता लगाने के लिए आपदा प्रबंधन प्रणाली होगी।

कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के धारणीय विकास के लिए प्रयास करेगी और अपनी गतिविधियों में यथासंभव पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावो को कम करने के प्रयास करेंगे।

Clause # 9

Quality of Products & Services

The Company shall be committed to supply goods and services of the highest quality standards backed by efficient after-sales service consistent with the requirements of customers to ensure their total satisfaction. The quality standards of the Company's goods and services shall comply with applicable laws and at least meet the required national standards and the Company should endeavour to become world-class.

The Company shall illustrate adequate labels, caveats and other necessary health and safety information on its product packaging.

खंड # 9

उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता

कंपनी अपने ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकतानुसार बिक्री–पश्चात् प्रभावी सेवा द्वारा समर्थित उच्च कोटि का सामान और सेवाएं आपूरित करने के लिए वचनबद्ध होगी। कंपनी के उत्पादों एवं सेवाओं का गुणवत्ता स्तर लागु कानूनों एवं कम से कम राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हो तथा कंपनी का प्रयास इन्हे विश्व स्तरीय बनाने की ओर होना चाहिए।

कंपनी अपने उत्पाद पैकेजिंग पर समुचित लेबल, चेतावनी और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा सूचना दर्शाएगी।

Clause # 10

Corporate Citizenship

The Company shall be committed to be a good corporate citizen not only in compliance with all relevant laws and regulations but also by actively assisting in the improvement of the quality of life of the people in the communities, in which it operates with the objective of making them self reliant. Such social responsibility would comprise, to initiate and support community initiatives in the field of community health and family welfare, water management, vocational training, education and literacy and encourage application of modern scientific and managerial techniques and expertise. This will be reviewed periodically in consonance with national and regional priorities. The Company would also not treat these activities as optional ones but would strive to incorporate them as integral part of its business plan. The Company would also encourage volunteering amongst its employees and collaboration with community groups. The Company shall encourage development of social accounting systems, carrying out social audit of its operations, and support public policies that promote social and economic development.

खंड # 10

निकाय की नागरिकता

कंपनी न केवल सभी संबंधित कानूनों एवं नियमों के अनुसार, एक अच्छे निकाय के नागरिक के रूप में स्थापित होगी, बल्कि वह उस समुदाय के लोगों, जहां वह संचालन कर रही है, का जीवन स्तर बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से अपना सहयोग देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रति भी वचनबद्ध होगी। ऐसी सामाजिक जिम्मेदारियों में पारिवारिक कल्याण, जल प्रबंधन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में पहल करना तथा सामुदायिक प्रयासों को सहयोग देना तथा आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रबंधकीय तकनीकों एवं कुशलता के उपयोग को प्रोत्साहन देना शामिल है। इन कार्यों का राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर समय–समय पर पुनरावलोकन किया जाएगा। कं पनी द्वारा इन क्रियाकलापों को वैकल्पिक रूप से ही नहीं, बल्कि इन्हें अपनी व्यापारिक योजना में अनिवार्य रूप से भी शमिल किया जाएगा। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को इस कार्य को स्वेच्छा से करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा समाज में लोगों के सहायतार्थ भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कंपनी सामाजिक लेखा प्रणाली के विकास, अपने संचालनों के लिए सामाजिक लेखा करना और सामाजिक, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाली सार्वजनिक नीतियों में सहायता देगी।

Clause # 11

Co-operation of Tata Companies

The Company shall cooperate with other Tata companies by sharing knowledge, physical, human and management resources as long as this does not adversely affect its business interests and shareholder value.

In the procurement of products and services, the Company shall give preference to another Tata company as long as it can provide these on competitive terms relative to third parties.

खंड # 11

टाटा कंपनियों को सहयोग

कंपनी टाटा कंपनियों के साथ उस सीमा तक प्रत्यक्ष, मानव तथा प्रबंधन संसाधनों की सहभागिता के रूप में पूरा सहयोग करेगी, जिस सीमा तक इससे व्यापारिक हितों एवं शेयरधारकों के मूल्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता।

उत्पादों एवं सेवाओं की प्राप्ति के संदर्भ में कंपनी द्वारा तब तक अन्य टाटा कंपनियों को प्राथमिकता देगी, जब तक कि तीसरे पक्ष की तुलना में ये उत्पाद और सेवा प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों पर उपलब्ध नहीं होते है।

Clause # 12

Public Representation of the Company and the Group

The Tata group honours the information requirements of the public and its stakeholders. In all its public appearance with respect to disclosing Company and business information to public constituencies such as the media, the financial community, employees and shareholders, the Company or the Tata group shall be represented only by specifically authorised directors and employees. It will be the sole responsibility of these authorised representatives to disclose information on the Company.

खंड # 12

कंपनी और ग्रुप का सार्वजनिक प्रतिनिधित्व

टाटा ग्रुप द्वारा आम जनता एवं इसके शेयरधारकों की जानकारी संबंधी आवश्यकताओं का सम्मान किया जाएगा। अपनी सभी सार्वजनिक प्रस्तुति में प्रचार माध्यमों, वित्तीय समुदायों, कर्मचारियों एवं शेयरधारकों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में कंपनी एवं इसकी संबंधित व्यापारिक सूचना देते समय कंपनी या टाटा ग्रुप का प्रतिनिधित्व केवल विशिष्ट रूप से अधिकृत निदेशकों एवं, कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा। कंपनी के संबंध में जानकारी देने के लिए एकमात्र रूप से केवल यही अधिकृत प्रतिनिधि ही उत्तरदायी होंगे।

Clause # 13

Third Party Representation

Parties which have business dealings with the Company such as consultants, agents, sales representatives, distributors, contractors, suppliers, etc. shall not be authorised to represent the Company if their business conduct and ethics are known to be inconsistent with the Code. The third parties are expected to abide by the Code in their interaction with the Company.

खंड # 13

तृतिय पक्ष प्रतिनिधित्व

ऐसे पक्ष जो कंपनी के साथ कारोबारी लेन–देन करते हैं, परंतु जो कंपनी के सदस्य नहीं हैं, जैसे कंसलटेंट्स, एजेंट, बिक्री प्रतिनिधि, वितरक, ठेकेदार आपूर्तिकर्ता आदि, कंपनी का प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकृत नहीं माने जाएंगे। यदि इनका व्यापारिक आचरण एवं नैतिक मूल्य कंपनी की आचार संहिता के अनुरूप नहीं हैं। तृतीय पक्ष से कंपनी की पारस्परिक क्रिया में आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

Clause # 14

Use of BlueScope and Tata Brands

The BlueScope and Tata names and trademarks are owned by BlueScope Steel and Tata Sons respectively and they shall be governed by relevant manuals, codes and agreements issued by the Joint Venture shareholders of the Company from time to time.

The use of the Tata Brand is defined in and regulated by the Tata Brand Equity and Business Promotion Agreement.

No third party is expected to use the Tata or BlueScope brand to further its interests without specific authorisation.

खंड # 14

ब्लूस्कोप एवं टाटा ब्रांड का प्रयोग

ब्लूस्कोप स्टील और टाटा सन्स के स्वामित्व में मौजूद ब्लूस्कोप एवं टाटा नाम एवं ट्रेडमार्क का प्रयोग समय–समय पर कंपनी के संयुक्त उद्यम शेयरधारकों द्वारा जारी नियमावली, आचार संहिता एवं अनुबंधों के अनुसार किया जाएगा।

टाटा ब्रांड का प्रयोग टाटा ब्रांड इक्विटी एंड बिजनेस प्रमोशन एग्रीमेंट के अनुसार परिभाषित एवं नियंत्रित किया जाएगा।

किसी भी तृतीय पक्ष से सुनिश्चित अधिकृति के बिना अपने हितों के लिए टाटा या ब्लूस्कोप ब्रांड का प्रयोग करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

Clause # 15

Group Policies

The Company shall recommend to its Board of Directors the adoption of policies and guidelines periodically formulated by its joint venture shareholders.

खंड # 15

ग्रुप की नीतियां

कंपनी द्वारा अपने निदेशक मंडल को अपने संयुक्त उद्यम शेयरधारकों द्वारा समय–समय पर तैयार की गई नीतियों एवं दिशानिर्देशों को अमल करने की सिफारिश की जाएगी।

Clause # 16

Shareholders

The Company shall be committed to enhance shareholder value and comply with all regulations and laws that govern shareholders' rights. The Board of Directors of the Company shall duly and fairly inform its shareholders about all relevant aspects of the Company's business and disclose such information in accordance with the respective regulations and agreements.

खंड # 16

शेयरधारक

कंपनी शेयरधारकों के मूल्यवर्धन के लिए प्रतिबद्ध होगी तथा शेयरधारकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों एवं कानूनों का अनुपालन करेगी। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपने शेयरधारकों को कंपनी कारोबार के हर संबंधित पहलू के विषय में उचित एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी तथा यह जानकारी संबंधित नियमों एवं अनुबंधों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

Clause # 17

Ethical Code

Every employee of the Company, which shall include whole-time Directors and the Managing Director, shall deal on behalf of the Company with professionalism, honesty, integrity as well as high moral and ethical standards. Such conduct shall be fair and transparent and be perceived to be as such by third parties.

Every employee of the Company shall preserve the human rights of every individual and shall strive to honour commitments.

Every employee shall be responsible for the implementation of and compliance with the Code in his professional environment. Failure to adhere to the Code could attract the most severe consequences including termination of employment.

खंड # 17

नैतिक आचरण

पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध संचालक सहित कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को अपनी कंपनी की ओर से व्यावसायिक दक्षता, ईमानदारी, अखंडता और उच्च आचरण तथा नैतिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना होगा। यह आचरण उचित और पारदर्शी होगा तथा तृतीय पक्ष द्वारा भी इसी तरह अनुभव किया जाना चाहिए।

कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों की रक्षा करेंगे और दूसरें के विचारों का सम्मान करेंगे।

प्रत्येक कर्मचारी अपने व्यावसायिक पर्यावरण में इस आचार संहिता के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। इस आचार संहिता का पालन न करने पर कर्मचारी की नौकरी से बर्खास्तगी सहित गंभीर परिणाम हो सकते है।

Clause # 18

Regulatory Compliance

Every employee of the Company shall, in his business conduct, comply with all applicable laws and regulations, both in letter and in spirit, in all the territories in which he operates. If the ethical and professional standards set out in the applicable laws and regulations are below that of the Code then the standards of the Code shall prevail.

खंड # 18

नियमों का पालन

कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी उन सभी क्षेत्रों में जहां कंपनी कार्य करती है, अपने व्यावसायिक आचरण में लागू सभी कानूनों एवं नियमों का पूरी तरह अनुपालन करेंगे। यदि लागू कानून एवं नियमों में निर्धारित नैतिक एवं व्यावसायिक मानदंड संहिता के मानदंड से कम पाए गए तो संहिता के मानदंड लागू होंगे।

Clause # 19

Concurrent Employment

An employee of the Company shall not, without the prior approval of the Managing Director of the Company, accept employment or a position of responsibility (such as a consultant or a director) with any other company, nor provide "free-lance" services to anyone. In the case of a Whole-time Director or the Managing Director such prior approval must be obtained from the Board of Directors of the Company.

खंड # 19

अतिरिक्त रोजगार

कंपनी का कोई भी कर्मचारी, कंपनी के प्रबंध संचालक की पूर्व अनुमति के बिना अन्य किसी भी कंपनी में न तो कोई रोजगार या न ही कोई उत्तरदायित्वपूर्ण (जैसे कन्सलटेन्ट या निदेशक) पद ग्रहण करेगा, न ही किसी को ''फ्री–लान्स'' सेवाएं उपलब्ध कराएगा। पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक निदेशक के मामले में ऐसी पूर्व–अनुमति कंपनी के निदेशक मंडल से लेनी आवश्यक होगी।

Clause # 20

Conflict of Interest

An employee or executive director of the Company shall not accept a position of power / responsibility / board nomination in any other non -Tata or non-BlueScope Company or not-for-profit organisation.

The above will not apply to:

- Nominations to the Boards of Tata or BlueScope Companies, joint ventures or associate companies
- Memberships / positions of responsibility in professional bodies wherein such association will benefit the employee / Tata or BlueScope Company
- Nomination / memberships in Government committees / bodies or organisations
- Exceptional circumstances as determined by the Competent Authority

  Competent Authority in case of an employee shall be the chief executive who in turn shall report all such exceptional cases to the Board of Directors on a quarterly basis. In case of the MD and executive directors, the promoting shareholders BlueScope Steel and Tata Steel shall be the Competent Authorities.

An employee of the Company shall not engage in any business, relationship or activity which might detrimentally conflict with the interest of his / her Company. A conflict of interest, actual or potential, may arise where, directly or indirectly, (a) an employee of a the Company engages in a business, relationship or activity with anyone who is party to a transaction with his / her Company, (b) an employee is in a position to derive a personal benefit or a benefit to any of his / her relatives by making or influencing decisions relating to any transaction, and (c) an independent judgment of the Company's best interest cannot be exercised.

The main areas of such actual or potential conflicts of interest would include the following:

- Financial interest of an employee of the Company or his / her relatives including the holding of an investment in the subscribed share capital of any company or a share in any firm which is an actual or potential competitor, supplier, customer, distributor, joint venture or other alliance partner of the Company. (The ownership of up to 1% of the subscribed share capital of a publicly held company shall not ordinarily constitute a financial interest for this purpose.)

- An employee of the Company conducting business on behalf of the Company or being in a position to influence a decision with regard to his / her Company's business with a supplier or customer of which his / her relative is a principal, officer or representative, resulting in a benefit to him / her or his / her relative.
- Award of benefits such as increase in salary or other remuneration, posting, promotion or recruitment of a relative of an employee of the Company where such an individual is in a position to influence the decision with regard to such benefits.
- Acceptance of gifts, donations, hospitality and / or entertainment beyond the customary level from existing or potential suppliers, customers or other third parties which have business dealings with the Company.

Notwithstanding that such or other instances of conflict of interest exist due to any historical reasons, adequate and full disclosure by the interested employees should be made to the Company's management. It is also incumbent upon every employee to make a full disclosure of any interest which the employee or the employee's immediate family, which would include parents, spouse and children, may have in a company or firm which is a supplier, customer, distributor of or has other business dealings with the Company.

Every employee who is required to make a disclosure as mentioned above shall do so, in writing, to his / her immediate superior who shall forward the information along with his / her comments to the person designated for this purpose by the Managing Director who in turn will place it before the Board of Directors / Executive Committee appointed by the Board and, upon a decision being taken in the matter, the employee concerned will be required to take necessary action as advised to resolve / avoid the conflict.

If an employee fails to make a disclosure as required therein and the management of its own accord becomes aware of an instance of conflict of interest that ought to have been disclosed by the employee, the management would take a serious view of the matter and consider suitable disciplinary action against the employee.

खंड # 20

हितों में विरोध

कंपनी का कोई कर्मचारी या कार्यकारी निदेशक किसी अन्य गैर टाटा या गैर–ब्लूस्कोप कंपनी या लाभार्जन न करने वाले संगठन में किसी अधिकारपूर्ण पद/उत्तरदायित्व/मंडल नामांकन स्वीकार नहीं करेगा। उपर्युक्त शर्तें निम्नांकित के लिए लागू नहीं होंगेः

उपर्युक्त शर्तें निम्नांकित के लिए लागू नहीं होंगेः

- टाटा या ब्लूस्कोप कंपनी मंडल, संयुक्त उद्यम या कंपनी एसोसिएशन के लिए नामांकन
- उन व्यावसायिक निकायों की सदस्यता/पद, जहां ऐसी संबद्धता कर्मचारी/टाटा या ब्लूस्कोप कंपनी के लिए लाभप्रद हो।
- सरकारी समितियों/निकायों या संगठनों में नामांकन/सदस्यता
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अपवादस्वरूप परिस्थितियां

  किसी कर्मचारी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी होगा जो ऐसे सभी अपवादस्वरूप मामलों को तिमाही आधार पर निदेशक मंडल को सूचित करेगा। प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों के संबंध में, ब्लूस्कोप स्टील और टाटा स्टील के संस्थापक शेयरधारक सक्षम प्राधिकारी होंगे।

टाटा कंपनी का कोई भी कर्मचारी अपने कंपनी हित के लिए नुकसानदायक व्यापार, संबंध या गतिविधि में शामिल नहीं होगा। वास्तविक या संभावित हित का विरोध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तब पैदा हो सकता है, जब (अ) टाटा कं पनी का कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार, संबंध या गतिविधियों में शामिल हो, जिसके साथ उसकी कंपनी का लेन–देन होता हो, (ब) कर्मचारी ऐसी स्थिति में हो कि वह किसी भी लेन–देन के संबंध में निर्णय लेकर या निर्णय को प्रभावित करके व्यक्तिगत लाभ या अपने किसी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाता हो, और (क) कंपनी या ग्रुप के स्वतंत्र निर्णय से सर्वोतम हित न प्राप्त किया जा सकता हो।

ऐसे वास्तविक या संभावित हित विरोधों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगीः

- टाटा कंपनी के कर्मचारी या उसके रिश्तेदार के वित्तीय हित, जिसमें किसी भी कंपनी की अभिदान शेयर पूंजी में निवेशधारिता या किसी कंपनी की शेयर पूंजी में निवेश या किसी फर्म में निवेश जो, कंपनी के वास्तविक या संभावित प्रतिस्पर्धी, सप्लायर, ग्राहक, वितरक, संयुक्त उद्यम या अन्य संबंधित सहभागी हो, सहित कंपनी के किसी कर्मचारी या रिश्तेदार का वित्तीय हित (प्रचार धारक कंपनी की अभिदान शेयर पूंजी का 1 प्रतिशत तक स्वामित्व, इस उद्देश्य हेतु साधारणतया वित्तीय हित का निर्माण नहीं करेगा)।

- टाटा कंपनी का ऐसा कर्मचारी जो कं पनी की ओर से कारोबार का संचालन करता हो या ऐसी स्थिति में हो कि अपनी कंपनी के कारोबार को ऐसे सप्लायर या ग्राहक के साथ लिए किसी निर्णय को प्रभावित कर सकता हो, जिसमें उसके रिश्तेदार प्रमुख हो, अधिकारी या प्रतिनिधि हो, जिसके परिणामस्वरूप उसके रिश्तेदार को लाभ पहुंच सकता हो।

- लाभ संबंधी पुरस्कार जैसे वेतन में वृद्धि या अन्य मेहनताना, नियुक्ति, पदोन्नति या कंपनी के कर्मचारी के रिश्तेदार की भर्ती के संबंध में, जहां ऐसा व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि इन लाभों को दिलाने के उद्देश्य से निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो।

- मौजूदा या संभावित सप्लायर, ग्राहकों या अन्य तीसरे पक्ष, जिसका कंपनी के साथ लेन–देन है, से साधारण रूप से अधिक उपहार, दान, आतिथ्य और/या मनोरंज्य स्वीकार करता हो।

किसी भी ऐतिहासिक कारणों से पैदा होने वाले हित विरोधी के ऐसे या अन्य कोई उदाहरणों के होते हुए भी इच्छुक कर्मचारियों को कं पनी प्रबंधन के समक्ष पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण देना होगा। यह प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक भी होगा कि वह किसी ऐसे हित का खुलासा करे जो कर्मचारी या कर्मचारी के निकटतम परिवार, जिसमें उसके माता–पिता, पति–पत्नी और बच्चे शामिल होंगे, की कोई कं पनी या फर्म हो जोकि सप्लायर, ग्राहक, वितरक हो या कंपनी के साथ अन्य कारोबारी लेन–देन रखता हो।

कोई भी ऐसा कर्मचारी जो ऊपर बताए अनुसार ऐसे किसी हित के विषय में स्पष्टीकरण देना चाहता हो तो वह अपने तात्कालिक वरिष्ठ अधिकारी को लिखकर दे सकता है जो अपनी विशेष टिप्पणी के साथ इस सूचना को प्रबंध निदेशक द्वारा इस उद्देश्य के लिए मनोनीत व्यक्ति को देगा जो इसे मंडल द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल/एक्जेक्यूटिव कमेटी के समक्ष रखेगा। इसके पश्चात मामले पर निर्णय लेकर, संबंधित कर्मचारी पर इस विवाद को निपटाने/दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

यदि कर्मचारी इसमें आवश्यक स्पष्टीकरण देने में चूक जाता है और प्रबंधन को इस हित विरोधी मामले की सूचना अपने तरीके से प्राप्त हो जाती है, जिसे कर्मचारी द्वारा प्रबंधन तक पहुंचाई जानी चाहिए थी, तो प्रबंधन द्वारा मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Clause # 21

Securities, Transactions and Confidential Information

An employee of the Company must not indulge in any form of insider trading and ensure his / her immediate family shall not derive any benefit from or assist others to derive any benefit from the access to and possession of information about the Company or Group which is not in the public domain and thus constitutes insider information.

An employee of the Company shall not use or proliferate information which is not available to the investing public and therefore constitutes insider information for making or giving advice on investment decisions on the securities of the respective Tata or BlueScope Company on which such insider information has been obtained.

Such insider information might include the following:

- Acquisition and divestiture of businesses or business units.
- Financial information such as profits, earnings and dividends
- Announcement of new product introductions or developments
- Asset revaluations
- Investment decisions/plans
- Restructuring plans
- Major supply and delivery agreements
- Raising finances

An employee of the Company shall also respect and observe the confidentiality of information pertaining to other companies, their patents, intellectual property rights, trademarks and inventions; and strictly observe a practice of non-disclosure.

खंड # 21

प्रतिभूति का लेनदेन और गोपनीय सूचना

कंपनी के कर्मचारी को किसी भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधि में सम्मलित नहीं होना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके एवं उनके निकटतम परिवार द्वारा कंपनी या ग्रुप के संबंध में ऐसी किसी जानकारी से न स्वयं कोई लाभ उठाया जाएगा और न ही इनसे किसी अन्य व्यक्ति को लाभ उठाने में मदद की जाएगी, जो जनता के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और इसमें कंपनी की आंतरिक सूचना मौजूद है।

कंपनी के कर्मचारी द्वारा ऐसी किसी जानकारी का न तो उपयोग किया जाएगा और न ही इसे जाहिर किया जाएगा, जो जनता के निवेश के लिए उपलब्ध नहीं है और इस तरह, संबंधित टाटा या ब्लूस्कोप कंपनी की प्रतिभूतियों के निवेश निर्णयों को लेने या इनके संबंध में परामर्श देने हेतु भीतरी जानकारी संघटित की जाती हैं, जिस पर इस प्रकार की आंतरिक जानकारी उपलब्ध हो चुकी है।

इस प्रकार की आंतरिक जानकारी में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

- व्यापार या व्यापार इकाईयों का अधिग्रहण या अधिकार–हरण
- लाभ, आय एवं लाभांश संबंधी वित्तीय जानकारी
- नये उत्पादों की शुरूआत या विकास की घोषणा
- परिसंपत्ति पुनर्मूल्यांकन
- निवेश संबंधी निर्णय/योजनाएं
- पुनर्गठन योजनाएं
- प्रमुख आपूर्ति एवं डिलीवरी संबंधी अनुबंध
- वित्त में बढ़ोतरी करना

कंपनी का कर्मचारी दूसरी कंपनियों, उनके माता–पिता, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों, ट्रेडमार्क और आविष्कार से संबंधित सूचना की गोपनीयता का सम्मान और अवलोकन भी करेगा तथा किसी भी गोपनीय अभ्यासों का निर्दिष्ट रूप से अवलोकन करेगा।

Clause # 22

Protecting Company Assets

An employee of the Company shall ensure the assets of the Company are not misused but employed for the purpose of conducting the business for which they are duly authorised. These include tangible assets such as equipment and machinery, systems, facilities, materials, resources as well as intangible assets such as information technology and systems, proprietary information, intellectual property rights, relationships with customers and suppliers, etc. The Company shall establish processes to minimise the risk of fraud, and misappropriation or misuse of our assets

खंड # 22

कंपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा

कंपनी के कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी की परिसंपत्ति का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग कंपनी के कारोबार संचालन हेतु किया जाएगा, जिसके लिए इन्हें अधिकृत किया गया है। इसमें उपकरण एवं मशीनें, प्रणाली, सुविधाएं, सामग्री, और संसाधनों जैसी साकार परिसंपत्ति और निराकार परिसंपत्ति जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और प्रणालियां, स्वामित्व सूचना, बौद्धिक संपत्ति अधिकार, उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ संबंध इत्यादि शामिल हैं। कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के खतरों और अपनी संपत्ति के दुरुपयोग को कम करने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना की जाएगी

Clause # 23

Citizenship

An employee of The Company shall in his private life be free to pursue an active role in civic or political affairs as long as it does not adversely affect the business or interests of the Company or the Group.

खंड # 23

नागरिकता

कंपनी का कर्मचारी अपने निजी जीवन में तब तक नागरिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है, जब तक इनका कं पनी या ग्रुप के व्यापार या हित पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता हो।

Clause # 24

Integrity of Data Furnished

Every employee of the Company shall ensure, at all times, the integrity of data or information furnished by him to the Company.

खंड # 24

कंपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा

कंपनी के हर कर्मचारी को, हर समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि कं पनी को उसके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़े सत्य और अखंड हो।

Clause # 25

Reporting Concerns

Every employee of The Company shall promptly report to the Ethics Counselor when he / she becomes aware of any actual or possible violation of the Code or any event of misconduct, act of misdemeanour or act not in the Company's interest, which could affect the business or reputation of the Company or any other Tata or BlueScope company.

Avenues available for raising concerns or queries or reporting cases could include:

- Immediate line manager or the Human Resources department of the Company
- Designated ethics officials of the Company
- The 'confidential reporting' third party ethics helpline

Any employee can make a protected disclosure under the Whistle Blower Policy. The Protected Disclosure should be forwarded under a covering letter which shall preferably bear the identity of the Whistle Blower. However, Protected Disclosures that are made anonymously will be investigated in accordance with the Whistle Blower Policy.

खंड # 25

अभिलेखन की तत्परता

कंपनी के हर कर्मचारी को उस स्थिति में तुरंत नैतिक सलाहकार को सूचित करना होगा, यदि कोई वास्तविक या संभावित आचार–संहिता का उल्लंघन करता दिखाई दे या दुर्व्यवहार की घटना, अपराध कार्य, या कोई ऐसा कार्य जो कंपनी के हितों के अनुकूल न हो, जो व्यापार या कं पनी की प्रतिष्ठा या अन्य किसी टाटा या ब्लूस्कोप कंपनी को प्रभावित कर सकता है।

समस्याओं या प्रश्नों को उठाने अथवा मामलों की रिपोर्टिंग के लिए उपलब्ध रास्तों में शामिल हैं:

- लाइन प्रबंधक या कंपनी का मानव संसाधन विभाग
- कंपनी के नामित आचार संहिता अधिकारीगण
- 'गोपनीय रिपोर्टिंग' थर्ड पार्टी आचारसंहिता हेल्पलाइन

विसल ब्लोवर पॉलिसी के अधीन कोई भी कर्मचारी सुरक्षित स्पष्टीकरण दे सकता है। सुरक्षित स्पष्टीकरण विसल ब्लोवर अंकित कवर लेटर में, ऐद्दिक रूप से, विसल ब्लोवर के नाम के साथ, भेजा जा सकता है।

TATA BLUESCOPE STEEL CODE OF CONDUCT - 2015

I acknowledge that I have received the Tata BlueScope Steel Code of Conduct.

I have read the Tata BlueScope Steel Code of Conduct and I acknowledge that as a Tata BlueScope Steel employee, I am required to comply with the guidelines described therein and failure to do so may subject me to action as per my employment terms and relevant company policies.

If I have a concern about a violation, or a potential violation of the Tata BlueScope Steel Code of Conduct, I understand that there are channels available to me in my company to report such concerns. By making use of these channels when necessary, I will play my part in maintaining the high ethical standards to which we hold ourselves.

Signature: ....

Date: ....

Name: ....

Department: ....

Address: ....

....

....

(Please submit this declaration to your Ethics Counsellor or the Human Resources department of your company)

टाटा ब्लूस्कोप स्टील आचार संहिता – 2015

मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने टाटा ब्लूस्कोप स्टील आचार संहिता को प्राप्त किया है। मैने टाटा ब्लूस्कोप स्टील आचार संहिता को पढ़ा है और मैं स्वीकार करता हूं कि टाटा ब्लूस्कोप स्टील कर्मचारी के तौर पर मुझे उसमें वर्णित दिशा निर्देशों का पालन करना है और ऐसा करने में विफल होने पर मेरे रोजगार नियमों और कंपनी की प्रासंगिक नीतियों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। अगर मुझे टाटा ब्लूस्कोप स्टील आचार संहिता के उल्लंघन या संभावित उल्लंघन को लेकर कोई परेशानी है तो मुझे पता है कि मेरी कंपनी में ऐसी समस्याओं के बारे में सूचित करने के लिए चैनल उपलब्ध हैं। आवश्यकता होने पर इन चैनलों का उपयोग करके मैं उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाउंगा।

हस्ताक्षरः ....

तारीखः ....

नामः ....

विभागः ....

पताः ....

....

....

(कृपया इस घोषणा को अपने एथिक्स काउंसलर या आपकी कंपनी के मानव संसाधन विभाग को सुपुर्द करें)

CODE OF CONDUCT

2015

हिंदी अनुवाद की व्याखा करने के लिए या किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया अंग्रेजी संस्करण देखे।

In case of any clarifications with respect to the interpretation of the Marathi translation, kindly refer to the English version.

For all queries pertaining to the Code of Conduct, please feel free to contact:

Ethics Counsellor

CIN : U45209PN2005PLC020270,
Regd. Office: The Metropolitan, 4th floor, Wakdewadi, Shivaji Nagar, Pune - 411005, India.
Telephone: +91 20 6621 8000 Facsimile: +91 20 6621 8001, Email: ethicscounselor@tatabluescopesteel.com